ई–निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा के टैक्सी स्टैण्ड कम शॉपिंग काम्प्लैक्स में स्थित दो पहियॉ/चार पहियॉ वाहनों की पार्किंग के संचालन हेतु ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी https://www.uktenders.gov.in वेबसाईट पर दिनांक 27–01–2024 से उपलब्ध होगीं।

वेबसाईट पर निविदा जारी होने की तिथि	दिनॉक 27–01–2024 सायं 04:00 बजे
निविदा प्रपत्र मूल्य राशि	3000.00 (तीन हजार रूपये)
वेबसाईट पर निविदा जमा करने की तिथि एवं समय	दिनॉक 13–02–2024 सायं 03:00 बजे
वेबसाईट पर निविदा खोले जाने की तिथि एवं समय	दिनॉक 13–02–2024 सायं 03:30 बजे
निविदा की धरोहर राशि	420000–00 (चार लाख बीस हजार रूपये)
निविदा को खोले जाने का स्थान व पत्राचार का पता	नगर पालिका परिषद,अल्मोड़ा कार्यालय।

अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद, अल्मोड़ा

प्रशासक,
नगरपालिका परिषद, अल्मोड़ा।

जिला अधिकारी,
अल्मोड़ा।

कार्यालय नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा

पत्रांक 4907/30–1/पा0नि0 2023–2024/दिनांकः 25 जनवरी, 2024

प्रतिलिपिः–

1–क्षेत्रीय प्रभारी, दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला एवं दैनिक जागरण को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त निविदा सूचना को अपने लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम पठनीय स्थान अथवा 8X6 वर्ग से0मी0 स्थान पर राजकीय दरों में प्रकाशित कर समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित बिल को जिला सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा से प्रमाणित कर भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

2–नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा कार्यालय नोटिस बोर्ड, जिला पंचायत नोटिस बोर्ड, उपजिलाधिकारी कार्यलय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

3–नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा वेबसाईड पर प्रकाशन हेतु।

अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद, अल्मोड़ा।

नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा के टैक्सी स्टैण्ड कम् शापिंग काम्पलैक्स, बहुमंजिला पार्किगं के चार तलों में वित्तीय वर्ष 2024–2025 हेतु पार्किग संचालन के आवंटन हेतु नियम एवं शर्ते

नगरपालिका परिषद, अल्मोड़ा के टैक्सी स्टैण्ड कम् शापिंग काम्पलैक्स में स्थित पार्किग में दो पहियॉ/चार पहियॉ वाहनों की पार्किग के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024–2025 शर्ते निम्नानुसार है–

1. निविदा में प्रतिभाग से पूर्व निविदादाता स्थल का भली भॉति निरीक्षण स्वय के व्यय पर कर लें। एक व्यक्ति को केवल एक निविदा डालने का अधिकार होगा। निर्धारित समयावधि उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

2. निविदादाता को 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च 2025 तक पार्किगं के प्रथम तल से चतुर्थ तल में पार्किग संचालन की अनुज्ञा होगी। पार्किग के अन्य किसी तल किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि का अधिकार निविदादाता को नहीं होगा।

3. निविदादाता द्वारा दैवीय आपदा,महामारी आदि कारणों एवं अन्य परिस्थितियों को आधार बनाते हुवे पालिका को भुगतान किये जाने वाली राशि में छूट/माफी या क्षतिपूर्ति के दावे सम्बन्धि प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा में प्रतिभाग करने से पूर्व स्थानीय परिस्थितियों का भली भॉती अध्ययन कर ले।

4. ई–निविदा द्विबिड प्रणाली आधारित होगी। प्रथम चरण में तकनीकी निविदा में प्रस्तुत किये गये प्रपत्रों को सम्यक परीक्षणोंपरान्त तकनीकी अर्हता पूर्ण करने वाले निविदादाताओं की वित्तीय बिड को द्वितीय चरण में खोला जायेगा।

5. तकनीकी अर्हता हेतु निम्नानुसार दस्तावेज निविदा में प्रस्तुत किये जाने अनिवार्य होगें।

- निविदादाता का पहचान पत्र, स्थाई खाता संख्या (PAN CARD) ,वस्तु एवं सेवा कर पंजीकरण (GST) की प्रति।
- सक्षम अधिकारी से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो कि 6 माह से पूर्व का न हो।
- निविदादाता द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत रू0 25,00,000/–(पच्चीस लाख) रूपये का हैसियत प्रमाण पत्र, जो कि 6 (छः) माह से पूर्व का न हो।
- निविदादाता को जमानत राशि के रूप में अधिसूचित बैंक द्वारा निर्गत एफ0डी0आर0 रू0 420000–00 (चार लाख बीस हजार रूपये), जो कि अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, अल्मोड़ा के नाम से बन्धक हो ,की मूल प्रति को नगर पालिका कार्यालय में पृथक से जमा किया जाना होगा।
- सी0 ए0 द्वारा सत्यापित विगत तीन वर्षो का आई0टी0आर0 (आयकर रिटर्न F.Y 2020-21,2021-22,2022-23) प्रमाण–पत्र।
- सी0 ए0 द्वारा सत्यापित विगत तीन वर्ष की बैलैन्स शीट(यू0डी0आई0एन0 अंकित करते हुए)।
- निविदादाता को तकनीकी निविदा के उपरोक्त वर्णित प्रपत्रों की प्रति, निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 3000–00 (तीन हजार) (डिमाड ड्राफ्ट, चैक, नकद भुगतान कर रसीद की प्रति) के रूप एवं धरोहर राशि के मूल प्रपत्रों ई–निविदा में खुलने की तिथि को नियत समय से पूर्व नगर पालिका परिषद,अल्मोड़ा कार्यालय में भी जमा की जानी अनिवार्य होगी जिसमें 18 % जी0एस0टी0 पृथक से देय होगा।

6. निविदा में प्रतिभाग हेतु प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के विपरीत पाये जाने पर आवंटन निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। जिसका मय हर्जे खर्चे सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा तथा पालिका द्वारा कोई क्षति पूर्ति देय नहीं होगी।

7. निविदा की न्यूनतम धनराशि रू0 42,00,000–00 **(बयालीस लाख रूपये)** निर्धारित की जाती हैं। निविदा शर्तो के अधीन निविदादाता द्वारा प्रस्तावित की गई उच्चतम प्रीमीयम राशि के आधार पर पार्किग स्थल नियत की गई अवधि में आवंटित किया जायेगा। निविदादाता द्वारा प्रस्तावित धनराशि में वस्तु एवं सेवा कर अतिरिक्त जमा करना होगा।

8. नगर पालिका परिषद,अल्मोड़ा के बकायेदार निविदा में प्रतिभाग करने के पात्र नहीं होगे।

9. निविदादाता को पार्किग संचालन हेतु स्वयं के नाम पर विद्युत संयोजन लिया जाना होगा। प्रत्येक तल पर निर्धारित लाईटिंग पॉईन्ट अवश्याकतानुसार प्रकाशित स्थिति में होना चाहिये। विद्युत बिल का वहन निविदादाता के द्वारा किया जायेगा।

10. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने पर वर्ष 2024–2025 अर्थात् 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 की स्वीकृत निविदा धनराशि का 40 प्रतिशत भाग आदेश प्राप्त होने के 15 कार्यदिवस के अन्दर मय जी0एस0टी0 सहित जमा करने के उपरान्त पार्किंग हस्तगत की जायेगी। शेष 60 प्रतिशत धनराशि को 06 माह के अन्दर नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा में जमा करना अनिवार्य होगा। निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त 01 माह के अन्दर स्वयं के व्यय पर निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पर अनुबन्ध की कार्यवाही अनिवार्य रूप से करनी होगी।
11. पार्किंग में वाहनों की सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं निविदादाता की होगी।
12. पार्किंग में निविदादाता को कर्मचारियों की नियुक्ति/व्यवस्था स्वयं करनी होगी। निविदादाता द्वारा पार्किगं संचालन हेतु नियुक्त कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराते हुए उनके चरित्र प्रमाण–पत्र, पहचान पत्र/आधार कार्ड आदि दस्तावेजों की छाया प्रति नगरपालिका परिषद,अल्मोड़ा को उपलब्ध कराई जानी होगी।
13. पार्किंग का शुल्क नगरपालिका अल्मोड़ा द्वारा निम्न दरों पर लिया जायेगा।

- दो पहियां वाहन शुल्क रू0 20–00 समयावधि 24 घण्टे
- अल्मोड़ा नगर के स्थानीय निवासियों हेतु चार पहियां वाहन शुल्क रू0 60–00 समयावधि 24 घण्टे
- अल्मोड़ा नगर के स्थानीय निवासियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के लिए चार पहियां वाहन शुल्क रू0 120–00 समयावधि 24 घण्टे
- भार वाहन शुल्क 150/–रू0 समयावधि 24 घण्टे

14. उक्तानुसार निर्धारित शुल्क में जी0एस0टी0 की दरें सम्मिलित होगी। निविदादाता द्वारा नियत दरों से अधिक शुल्क वसूले जाने अथवा पार्किगं संचालन में अनियमितता पाये जाने पर प्रथम बार उल्लंघन करने पररू0 5000–00 अर्थदण्ड , द्वितीय बार उल्लंघन करने पर रू0 10,000–00 अर्थदण्ड आरोपित कर वसूली की कार्यवाही की जायेगी। पुर्नावृत्ति की स्थिति में निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा।
15. निविदादाता द्वारा बिना पालिका की अनुमति के पार्किंग के स्वरूप में किसी प्रकार का बदलाव या अतिरिक्त निर्माण नहीं किया जायेगा।
16. निविदादाता द्वारा पार्किगं एवं पार्किग में स्थापित शौचालयों का रखरखाव एवं समुचित सफाई व्यवस्था नियमित रूप से की जायेगी एवं पार्किग में जल उपयोग व सुरक्षा व्यवस्था निविदादाता को स्वयं के व्यय पर करना होगा।
17. पार्किग आवंटन उपरान्त यदि भविष्य में शासन/पालिका द्वारा कोई भी अतिरिक्त कर/शुल्क आरोपित किया जाता है तो उसकी अदायगी निर्धारित दरों पर निविदादाता को जमा करनी अनिवार्य होगी।
18. निविदादाता द्वारा बकाया धनराशि जमा न किये जाने पर बकाया धनराशि भू–राजस्व के बकाये की भॉती वसूले जाने की कार्यवाही की जायेगी।
19. निविदादाता द्वारा जनसामान्य की सुरक्षा के दृष्टिगत पार्किग संचालन संबंधी समस्त कार्यो में पर्याप्त सावधानी बरतनी होगी यदि किसी प्रकार की दुर्घटना से या कोई हानि होती है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मय हर्जे खर्चे निविदादाता का होगा।
20. निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार जिला अधिकारी, अल्मोड़ा के पास सुरक्षित रहेगा।
21. नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा तथा जिला प्रशासन,अल्मोड़ा के राजकीय वाहनों की पार्किंग हेतु निशुल्क स्थान आरक्षित किया जाना होगा।

22. अपरिहार्य परिस्थितियों हेतु अधिशासी अधिकारी द्वारा निशुल्क पार्किंग हेतु 50 पास जारी किये जा सकते है। निर्गत पास के सापेक्ष पार्किंग शुल्क या किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

23. निविदादाता द्वारा वाहनों को पार्किंग के अन्दर व्यवस्थित रूप में पार्क कराया जायेगा। पालिका द्वारा संचालित वाहनों यथा नगर सेवा बस आदि हेतु पार्किंग के बाहर से सड़क स्तर तक स्थित स्थान पालिका वाहनों के लिए आरक्षित रखना होगा।

24. निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित की गयी धनराशि के सापेक्ष 02 प्रतिशत या नियमानुसार धनराशि सेस (Cess) के रूप में अतिरिक्त जमा किया जाना अनिवार्यतः होगा, जो अनुबन्ध के समय एकमुश्त जमा किया जायेगा।

25. निविदादाता को पालिका बारात घर में कार्यक्रम आयोजन हेतु 24 घण्टे की समयावधि के लिए पार्किगं में तीन वाहनों के लिए स्थान निःशुल्क आरक्षित रखने होंगे।

26. पार्किंग स्थल पर किसी प्रकार का विवाद होने पर न्यायायिक क्षेत्राधिकार जिला अल्मोड़ा स्थित मा0 सक्षम न्यायालय में निहित होगा।

27. निविदादाता द्वारा पार्किंग में स्थापित लिफ्ट के संचालन हेतु कर्मचारी की तैनाती की जानी होगी।

28. ई–निविदा में प्रतिभाग पर वैबसाईट आदि में तकनीकी खराबी से होने वाली कठिनाई हेतु विभाग जिम्मेदार नही होगा। अपरिहार्य कारणों से निविदा खोली जाने की तिथि को बढाया जा सकता है।

अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद, अल्मोड़ा।